

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS - *CONTD.*)

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : सभापति जी, मुझे विश्वास है कि फिर मुझे बैठना नहीं पड़ेगा। प्रथम : ग्रासे मक्षिकापात :। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया था उस पर चर्चा हो गई। चर्चा में 29-30 सदस्यों ने भाग लिया। स्पष्ट है कि विस्तार से विषयों की चर्चा हुई। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का एक दर्पण है, उद्घोषणा है और सदन को वह इस बात का अवसर देता है और सदन के माध्यम से देशवासियों को भी आने वाले कुछ काल में सरकार किन नीतियों पर चलेगी, सरकार की दिशा क्या होगी दृष्टि क्या होगी। मुझे खेद है कि सदन डा. मनमोहन सिंह जी की उपस्थिति से वंचित रह गया। हमारी मनोकामना है कि वह शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हों और सदन में आकर अपना योगदान दें। उनका दायित्व श्री प्रणव मुखर्जी पर आया और उन्होंने जो प्रश्न खड़े किए, उनके बारे में, मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने सदन का ध्यान तात्कालिक महत्व के विषयों से थोड़ा दूर ले जाकर स्थाई और दूरगामी विषयों की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास किया है। इसका कारण यह था कि जो प्रस्ताव महोदय थे, जो सत्तापक्ष की ओर से बोलें थे, डा० महेश चन्द्र, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाये थे जो उनकी दृष्टि में बुनियादी हो सकते हैं मगर आज की स्थिति में वह प्रासंगिक नहीं हैं। राष्ट्र का झंडा कैसा हो ? यह विद्वानों के विचार का विषय हो सकता है, लेकिन इस सदन के विचार का नहीं। कौन सा झंडा होगा, यह तय हो चुका है। कभी चर्चा हुई थी कि भगवा क्यों नहीं, अब उसका यहां पर उल्लेख करना मैं समझता हूँ कि मुझे उस पर जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तत्काल प्रणव मुखर्जी के भाषण पर आ जाना चाहता हूँ।

उन्होंने कुछ बुनियादी सवाल उठाये। विकास की दर क्या हो ? क्या विकास की दर आठ परसेंट रखने से हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वे मिल सकते हैं। यह दर कैसे बढ़ाई जाए। प्रश्न हुआ कि डोमिस्टिक सेविंग्स को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके साथ यह भी प्रश्न जुड़ा हुआ है कि सबसिडीज के बारे में हम क्या करें ?

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सबसिडीज का मामला, यह अब पार्टियों का मामला नहीं रहा, यह पूरे देश की अर्थ-व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मामला हो गया है। 16, 17 फीसदी सबसिडीज दी जा रही हैं। अभी सरकार ने फैसला किया है कि जो कुकिंग गैस है, उसमें जो वृद्धि की गई थी, उस वृद्धि को कम किया जाए। जन भावनाएं हैं प्रश्न लोकप्रियता से जुड़ जाता है। दलीय राजनीति हावी हो जाती है। क्या इससे निकलने का रास्ता नहीं है ? क्या वित्तीय व्यवस्था के साथ इसी तरह से खेल चलेगा ? राज्यों की वित्तीय व्यवस्था तो और भी खराब है। जितनी आमदनी है या जितना केन्द्र से धन जाता है वह धन पेंशन में और वेतन में खर्च हो जाता है। गरीबी कहां से मिटेगी, हर बच्चे के लिए शिक्षा का प्रबंध कहां से होगा, कैसे होगा ? आजादी के 54 साल बाद भी हम इसी उधेड़बुन में पड़े हुए हैं। भारत महान लोकतंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए लेकिन देश की दयनीय आर्थिक स्थिति देखकर चिंता होती है। यह ठीक है कि 5.2 प्रतिशत की जो ग्रोथ है, वह संतोषजनक नहीं है। पर्याप्त भी नहीं है इसीलिए हम आठ प्रतिशत की बात कर रहे हैं। पहले प्लानिंग कमीशन में दस परसेंट का विचार था, लेकिन उसमें परिवर्तन करना पड़ा। अब हम आठ

प्रतिशत का लक्ष्य लेकर चले हैं। उसका भी अगर हिसाब जोड़कर देखें मैं जी.डी.पी. की बात कर रहा हूँ — उसका अगर आप हिसाब लगाकर देखें तो गरीबी में थोड़ा सा फर्क जरूर होगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होगा। क्या करें सब्सिडी के सवाल पर? क्या इसी तरह का राजनैतिक खेल चलें? राजनैतिक प्रतिस्पर्धा, चुनाव की चिंता वोट का खेल — हम कहां जाएंगे? मैंने अपना सारा जीवन प्रतिपक्ष में बिताया है और मैं फिर प्रतिपक्ष में जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन कोई संभालने वाला तो हो। ... (व्यवधान) ...

श्री कपिल सिब्बल (बिहार) : आप फैसला करो, संभाल लेंगे ... (व्यवधान) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी सफलता चाहता हूँ लेकिन आपके आने के बाद भी ये प्रश्न आपके मन में को कुरेदते रहेंगे? ये प्रश्न चुनौती देते रहेंगे। सत्ता परिवर्तन हो सकता है लेकिन देश की स्थिति में परिवर्तन कैसे हो?

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : ठीक रास्ता निकालना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और रास्ता इनके अलावा कोई नहीं जानता इसीलिए ये संख्या में घटते जा रहे हैं। रास्ता ठीक है मगर डगर पर चलने वाले का पता नहीं है। मैं गंभीरता के साथ इस सवाल को उठा रहा हूँ। चुप करने वाला उत्तर दिया जा सकता है। मुंह तोड़ जवाब, किसका मुंह तोड़ें? देश को संकट की स्थिति में से निकालना पड़ेगा इसलिए एक आम सहमति की बात शुरू हुई थी, थोड़ी चली और फिर बाद में गाड़ी पटरी से नीचे उतर गयी। उसको फिर से वापिस लाना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में हम एक कठिनाई भरे दौर से गुजर रहे हैं। उसमें से निकलने का प्रयास चल रहा है। बजट आ गया है। हमारे वित्त मंत्री हम सब लोगों की सहानुभूति के पात्र हैं लेकिन अगर पिटे — पिटाए रास्ते पर जाना है तो फिर बड़े परिवर्तन की महत्वाकांक्षा फलीभूत नहीं होगी। अगर रास्ता बदलना है तो अलोकप्रियता अर्जित करनी होगी। श्रेय और प्रेय में से एक का निर्वाचन करना होगा। हम दोनों को मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सफल होते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं होते। सरकारें बदल जाती हैं। मेरी सरकार को चार साल हो गये राम-राम कहते चार साल हो गये। अभी हाल में कोई सरकार इतने लम्बे काल तक नहीं चली। ... (व्यवधान) ... कैसे चली, वह कहानी आप जानते हैं लेकिन चल रही है और जो विकल्प होगा, वह भी इसी तरह का विकल्प होगा जो सारे राष्ट्र की भावनाओं का प्रकटीकरण कर सकें और सारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। महोदय, क्षेत्रीय दलों का स्थान है, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की सीमा है। जब तक वे साथ नहीं आएंगे, जब तक किसी एक केन्द्रिय दल के साथ मिलन नहीं करेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा, विकल्प नहीं बनेगा इसमें कठिनाईयां हैं। उन कठिनाईयों के चलते रास्ता कैसे निकाला जाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई, उसमें इस विषय का भी उल्लेख होना चाहिए था। सदस्यों के सामने मैंने एक समस्या रखी है और मैं चाहूंगा कि उस पर विचार किया जाए।

आर्थिक सुधारों के बारे में एक आम सहमति होना जरूरी है। कुछ तात्कालिक लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अब पब्लिक अंडरटेकिंग्स का क्या करें जब उन्हें खत्म नहीं कर रहे हैं और खत्म करना भी नहीं चाहते। मैं उन लोगों में से हूँ जब भिलाई का पहला कारखाना लगा था तो मैंने इसका बड़ा स्वागत किया था, देश पर अभिमान किया था कि हम भिलाई में इस्पात बना रहे हैं। बड़े देशों ने हमें मदद देने से इंकार कर दिया था तब रुम हमारी सहायता के लिए आया था और हमने भिलाई का कारखाना खड़ा किया था। सबको उस पर

गर्व है लेकिन आज वह कठिनाई में जा रहे हैं। कारखाना बंद करना सरकार की नीति नहीं हो सकती और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बंद करना भी नहीं होता। थोड़ा सा इक्विटी घटाने का सवाल है लेकिन उस पर भी यह प्रचार किया जाता है। कि बेच दिया, कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि देश को बेच दिया और ऐसा कहने वाले बाहर ही नहीं, हमारे अपने घर में भी हैं। वे मुझे जानते हैं कि मैं बेचने का पाप कभी नहीं कर सकता लेकिन ये बोलचाल की भाषा हो गई है, नीयत पर शक करना, एक-दूसरे की देशभक्ति पर उंगली उठाना। नीति अलग हो सकती है, उससे प्रमाणिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि देश में सब बेचने वाले इकट्ठा हो गए हैं और खरीदने वाला बाहर से आने वाला है। बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष के बाद बाहर से खरीदने वालों को निकाला है। आज क्या दोहरी गुलामी आएगी? गुलामी नए रूप में आएगी?

अर्जुन सिंह जी ने अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, उसके बारे में भी मैं कुछ उल्लेख करना चाहूंगा। क्या राज्यों को विदेशों से वित्त सहायता लेने और सहयोग लेने का अधिकार होना चाहिए? अभी तक हमने मान लिया है, आगे भी हम इसे मना रखना चाहते हैं। राज्यों को जो भी ऋण लेना हो या सहायता लेनी हो, वह केन्द्र के माध्यम से होनी चाहिए, प्रदेश के द्वारा नहीं। आंध्र में जो ऋण लिया गया है, उसके आधार पर गलतफहमी हुई। उन्होंने ओर्गेनाइजर का उल्लेख किया, मुझे पत्र भी लिखा था, ओर्गेनाइजर का उद्घरण उपस्थित करते हुए। शायद उन्हें कुछ अपराधबोध हो रहा था कि किस अखबार का उद्घरण देना पड़ रहा है लेकिन उद्घरण के बिना बात नहीं बनती। आंध्र के साथ जाक स्ट्रक्चरल ऐडजस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसमें विश्व बैंक से कुछ राज्यों को सहायता मिल रही है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे विदेशी वित्तीय संस्थाओं की हायता से एक समानान्तर आर्थिक नीति चला रहे हैं। इसका केन्द्र की वित्तीय नीति से कोई लेना देना नहीं है। जो भी सहायता ली जाती है ... (व्यवधान) ...

डॉ अलादी पी. राजकुमार (आन्ध्र प्रदेश) : यह अर्जुन सिंह जी का रहम है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : रहम नहीं, भ्रम है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने सोचा आप उपर रहम कर रहें हैं। ... (व्यवधान) ... यह उनका वहम है, वहम। अब वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। ... (व्यवधान) ...

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) : मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है, देश पर रहम करने की जरूरत नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। आपके मन में यह चिंता होना स्वाभाविक है, हमारे मन में भी है कि हमें पनी आर्थिक सर्वप्रभुता बनाए रखनी है। और स्थिति स्पष्ट हो गई वरना मेरे विरुद्ध या मेरी सरकार के विरुद्ध, जो प्रचार हो रहा है, उसमें यह चीज जुड़ जा ती है कि ये विदेशों से सीधे सहायता ले

रहे हैं और राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। कोई भी राज्य ऐसी सहायता लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, जो भी सहायता आती है, वह केन्द्र के माध्यम से आती है, केन्द्र के द्वारा खर्च होती है और भविष्य में यही प्रबन्ध चलेगा। इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

रोजगार का प्रश्न बड़ा टेढ़ा है। आर्थिक सुधार जरूरी है। उनको सही दिशा में कार्यान्वित किया जाए। इसकी आवश्यकता है। लेकिन जो रोजगार के अवसर, भारी उद्योगों में कम हो रहे हैं और नई टेक्नॉलोजी के कारण भविष्य में और भी कम होने की आशंका है, उसके निवारण के लिए, निराकरण के लिए कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, कुछ और भी कदम उठाने का सरकार का विचार है। बड़ौदा पैमाने पर सड़को का निर्माण, राष्ट्रीय महामार्ग, यहां तक गांव से जोड़ने वाली सड़क, उसके लिए अलग धन की व्यवस्था, जो क्षेत्र उपेक्षित रहा है, इससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी और देश भविष्य की ओर आशाभरी दृष्टि से देख सकेगा। सड़कों के साथ गृह निर्माण बड़े पैमाने पर है। जो हमने लक्ष्य तय किए थे, कुछ क्षेत्रों में, उन लक्ष्यों से ज्यादा मकान बने हैं। लेकिन इस गति को बढ़ाना पड़ेगा। मकान रोजगार देते हैं, मकान अर्थव्यवस्था को और भी संचालित करते हैं। मकान बनाने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पड़ते हैं, नए लोगो को काम पर लगाना पड़ता है। इसमें पर्याप्त धन देकर यह प्रयास किया जा रहा है कि रोजगार के अवसर बढ़ें और लोग नौकरी के पीछे न दौड़ें। इस समय तो नौकरी के अलावा, जो सुरक्षा का आश्वासन दे सके, ऐसा धन्धा नहीं है। इसीलिए सब लोग नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। उसमें भी प्रतियोगिता चल रही है। प्रतिस्पर्धा चल रही है। हमारे अच्छे-अच्छे लोग, जो चतुर हैं, निष्णात हैं, विशेषज्ञ हैं, जो देश छोड़कर जाना चाहते हैं, इसको रोकना होगा। लेकिन यह तभी रुकेगा जब देश के भीतर ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाएगा कि हरेक की प्रतिभा और हरेक के परिश्रम का सम्मान होगा। यह हम अभी नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकारी नौकरी की ओर झुकने वाला नौजवान वर्ग, अगर इस रास्ते से हटाया नहीं सकता तो भविष्य में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होने वाली हैं। उन पर सबको मिलकर, विचार करने की जरूरत है।

मैं श्री राम जेठमलानी का उल्लेख करना चाहता हूँ। उनके बिछुड़ने का हमें हमेशा दुख रहेगा। इस बार उन्होंने अपने भाषण में ज्यूडिशियल रिफॉर्म की बात उठाई थी। इसके संबंध में एनडीए का घोषणापत्र भी स्पष्ट है। और क्षेत्रों में हम सुधार कर रहे हैं, सही सुधार हो, तेज गति से हो, जनहित की रक्षा करें।

लेकिन अभी न्यायालय के क्षेत्र में सुधारों की दिशा में कदम उठाया गया है। कितने मुकदमे पड़े हैं, कितने अदालतों के चक्कर खाते हुए लोग न्यायदान की प्रतीक्षा में बरसों तक पड़े रहते हैं। कानून मंत्री यहां हैं, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं। मैं संसद बनाम न्यायपालिका का इस समय विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। इस अयोध्या के मामले में एक जज महोदय ने भरी अदालत में कह दिया, दिस इस नॉट पॉलियामेंट। बुरा लगने वाली बात है। हमने यह उपाधि अर्जित की है या नहीं यह हमारे कर्मों का फल है मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब लोग मिलकर बैठें और फिर रास्ता निकालें। जजों की नियुक्ति कैसे हो, न्यायपालिका का एक दायित्व है लेकिन पॉलियामेंट कहां जाए, कार्यपालिका कहां जाए, विषय नाजुक है, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन हमने ज्यूडिशियल रिफॉर्म लाने का संकल्प किया है। इस

दिशा में सभीदलों से विचार-विनियम करके हम नीति तय करेंगे। स्वाभाविक है कि इस चर्चा में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख होता। जम्मू-कश्मीर में शीघ्र ही चुनाव होने वाले हैं। निष्पक्ष चुनाव होंगे, स्वतंत्र चुनाव होंगे। सारे संसार में इस घोषणा से एक विश्वास जागा है। जो पृथक्तावादी हैं उनके मुंह भी बंद हुए हैं। जो अपने को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं वे मैदान में आकर यह सिद्ध करें कि उन्हें जनता का कितना विश्वास प्राप्त है एक चुनी हुई सरकार है। एक दल जो बरसों से सेवा करता रहा है, संघर्ष करता रहा है, इस समय सत्तारूढ़ है। लोग उसका काम भी देखें और आने वाली योजनाओं के बारे में विचार करें। पाकिस्तान में जो परिवर्तन हुआ है उससे जम्मू-कश्मीर की स्थिति भी प्रभावित हुई है और अच्छी दिशा में प्रभावित हुई है। इस स्थिति का लाभ उठाने की जरूरत है। बाहर की समस्या इतनी जटिल नहीं है जितनी घर के भीतर अच्छा प्रशासन देने की समस्या है और इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। मैं अधिवेशन के शीघ्र ही बाद जम्मू-कश्मीर जाऊंगा। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मेरे साथ होंगे। हम सारी स्थिति का विवेचन करेंगे, विचार-विमर्श करेंगे। इस समय कौन-सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए, इसके संबंध में सोचेंगे, सबकी सलाह लेंगे। लेकिन एक मोड़ पर आकर सारी परिस्थिति खड़ी हो गई है और इस परिस्थिति में इस तरह की उत्तेजनात्मक बातें कही गईं, मुहम्मद साहब के बाल के बारे में वह बहुत निंदनीय हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि डा. कर्ण सिंह ने उसका खंडन किया, संसद सदस्य ने भी उसका खंडन किया है। वह एक पेपर में छपा है। मैं मीडिया की आलोचना नहीं करना हूँ। लेकिन ऐसी बातें छापने के पहले अगर जिनसे संबंधित वह बातें हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए, 24 घंटों रुक लिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटता। कितना नुकसान हो सकता है एक खबर के बारे में यह संदिग्ध है कि वह सही भी है या नहीं सही है। संसद सदस्य ने उसकी निंदा की। लेकिन ऐसी बातें कहने की जरूरत क्या है, ऐसी बातें क्यों प्रकाशित होती हैं? इससे भावनाएं भड़क जाती हैं। इस देश में किस विषय को लेकर कब कितनी भावना भड़केगी, कहना बड़ा मुश्किल है। अब उड़ीसा के कांड पर बहस होगी, हमने निंदा करना मान लिया है, मगर मैंने एक प्रश्न उठाया था कि वह जो भीड़ थी, वह मेरा जिन्दाबाद कर रही थी। मैं जानना चाहता था कि वह सचमुच में कर रही थी या ऐसे ही छप गया। मैं वहां कहीं आता नहीं और ऐसी भीड़ मेरा जिन्दाबाद करे, इससे तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ... (व्यवधान) ...

श्री हंसराज भारद्वाज (मध्य प्रदेश) : कर रहे थे ... (व्यवधान) ...

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : कर रहे थे तो गलत है। ... (व्यवधान) ...

श्री हंसराज भारद्वाज : मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि आप ही के लोग आपको गिराना चाहते हैं। ... (व्यवधान) ... आप संभल कर चलिये। हम नहीं गिराना चाहते हैं आपको। ... (व्यवधान) ...

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश) : आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में आर.एस.एस. के ... (व्यवधान) ... बात छापी है ... (व्यवधान) ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि अखबार बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं मगर पूरी तरह से निर्भर मत रहिये। उनका सोर्स क्या है, अखबार चलाने वाले मालिक की मनोदशा क्या है, उसके स्वार्थ क्या हैं। कभी तो मुझे ऐसे शीर्षक देखने पड़ते हैं जिनसे तन-बदन में आग लग जाती है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता है। आज भी स्वतंत्रता का सवाल उठा था। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह तो विनाश की ओर ले जाने की प्रवृत्ति है। यह अराजकता पैदा करेगी। इसमें सब को संयम की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं जम्मू-कश्मीर की बात कर रहा था। मैं चाहूँगा कि सदन इस संबंध में और भी विचार करे और अपनी सलाह दे। यह एक ऐसा प्रश्न है, इस पर भी राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है। लेकिन विश्व के मन में जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत ने जो स्टैंड लिया है, उसका औचित्य उसकी समझ में आ रहा है। जो संसद सदस्य विदेशों की यात्रा पर भेजे गये थे, उनमें सभी दलों के सदस्य थे। उनमें से कुछ यहां उपस्थित हैं। उन्होंने आकर जो रिपोर्ट दी है, वह उत्साह को बढ़ाने वाली है। भारत का पक्ष अब समझा जा रहा है। अभी तक शायद समझाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे वह हमने नहीं किये। मुझे एक प्रधानमंत्री से सुन कर आश्चर्य हुआ जब उन्होंने जम्मू-कश्मीर की चर्चा करते हुए अपनी अनभिज्ञता प्रकट की कि वहां कांस्टीट्यूट अस्सेम्बली बनी थी, उसने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के निर्णय की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कब की थी, कहाँ है जानकारी, इसका आप प्रचार क्यों नहीं करते। जम्मू-कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें हम मान कर चलते हैं कि दुनिया को मालूम होगा हमारा पक्ष बड़ा न्यायपूर्ण है, सेकुलरवाद की कसौटी पर खड़ा उतरता है, हम सब दोबारा मजहब के आधार पर विभाजन नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके बाद और छोटी छोटी बातें हैं मगर हैं बड़ी महत्वपूर्ण। मैं अपने मिशनों की आलोचना नहीं करता। शायद वह भी समझते हैं कि दुनिया हमारे दृष्टिकोण से सहमत है, अब ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं है। इसको भी बदलने की आवश्यकता है। विश्व को, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जम्मू-कश्मीर की वास्तविकता के बारे में प्रारम्भ से हुए झगड़े से जिस तरह से कबाइलियों ने हमला कर के जम्मू-कश्मीर पर कब्जा करना चाहा ... लोगों की स्मृति को फिर से जगाना पड़ेगा। लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। जो बंधु इस संबंध में वहां—विदेशों में गए थे मैं उनको अलग धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका आभारी हूँ। सब पार्टियों जब मिलकर एक बात कहती हैं तो उसका अलग असर होता है और इसलिए इस तरह के प्रतिनिधि मंडल और भेजे जाएं, हम इसका प्रयास करेंगे।

डा. कर्ण सिंह (रा.रा. क्षेत्र दिल्ली) : हमारे देश में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप दे रहे हैं। और दीजिए।

श्री कर्ण सिंह : हम नहीं दे सकते हैं। आपको ही देनी होगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, चीन के साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं। चीन के प्रधान मंत्री आए थे। दुनिया में बड़ी हलचल हुई कि चीन के प्रधान मंत्री आए हैं, इतने दिनों के लिए आए हैं, इतनी लम्बी बातें कर रहे हैं, यह क्या होकर रहा है। पड़ोसियों में किसी तरह की शंका पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। चीन के साथ सीमा के विवाद के बारे में चर्चा चल रही है। वह

1.00 p.m.

संतोषजनक ढंग से चल रही है। लेकिन और क्षेत्रों में भी हमारे साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करके और सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। मैं भी कुछ दिनों बाद चीन जाऊंगा। उससे पहले हमारे विदेश मंत्री जाएंगे। उनको पहले का निमंत्रण है। लेकिन दोनों तरफ इच्छा है कि हम और अधिक निकट आएँ, एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझें। कई और भी प्रश्न हैं जो चर्चा में उठाए गए थे, लेकिन मैं उन सबका उत्तर दूंगा।

अयोध्या में सब शांतिपूर्ण है, सामान्य है। जन-जीवन पटरी पर आ गया है। विद्यालय खुल रहे हैं, दुकानें खुल गयी हैं व्यापार चल पड़ा है। सामान्य स्थिति की ओर अयोध्या तेजी से बढ़ रहा है। अब श्री अशोक सिंहल भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं ... (व्यवधान) ... हम जो करने जा रहे हैं, जो करणीय है, जो करना अभिप्रेत है, उसके लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया तो फिर संसद सदस्यों को एक बार फिर अयोध्या के बारे में बोलने का मौका मिलेगा। मैंने कहा, जितना बोलना था सब बोल चुके, अब और अधिक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूँ। वे पहले जब छोड़ने वाले थे। उनको समझाया कि यह ठीक नहीं होगा, गर्मी का मौसम है उनके स्वास्थ्य पर और नजर रखनी होगी। अगर आवश्यकता हुई तो हम अशोक सिंहल को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेंगे जिससे उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कठिनाई पैदा न हो। वे सुरक्षित रहने चाहिए, वे स्वस्थ रहने चाहिए। अयोध्या अपनी गति से श्रद्धा और भक्ति की राह पर चले इस बात की आवश्यकता है। सरकार इसमें सहायक होना चाहती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति राज्य है। जिम्मेदारी सीधे हमारे ऊपर है। हम उसका निर्वाह कर रहे हैं और इसमें सक दलों का सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we shall now take up the Amendments No. 59 to 109, moved by Dr. Dasari Narayana Rao.

DR. DASARI NARAYANA RAO (Andhra Pradesh) : Sir, I am withdrawing my amendments.

(The Amendments No. 59 to 109 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments No. 110 to 120, moved by Shri Rama Shanker Kaushik.

SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK (Uttar Pradesh) : Sir, I am withdrawing my amendments..

(The Amendments No. 110 to 120 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up amendments No.121 to 273 and 463, moved by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: Mr. Chairman, Sir, I am not pressing my amendments.

(The Amendments no. 121 to 273 and 463 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments No. 321 to 334, moved by Shri Dipankar Mukherjee.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I am not pressing my amendments.

(The amendments no. 321 to 334 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments No.349 to 357, moved by Shrimati Chandra Kala Pandey.

SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY (West Bengal) : Sir, I am withdrawing my Amendments.

{The Amendments no. 349 to 357 were, by leave, withdrawn.}

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments No. 358 to 379, moved by Shrimati Sarla Maheshwari

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) : Sir, I am withdrawing my Amendments. अगर आप अनुमति दें तो मैं सिर्फ एक बात का निवेदन करना चाहूंगी । प्रधान मंत्री जी ने महिलाओंके बारे में एक भी बात नहीं की और न ही राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कोई बात की गई है । मैंने सोचा कि कम से कम जवाब देते समय तो वे हमारी आधी आबादी को याद करेंगे । लेकिन हम लगातार जिस बा त के लिए आवाज उठाते रहें हैं उस आवाज को ही आपने दबा दिया । ... (व्यवधान)... तो सभापति जी , मैं आपसे निवेदन करूंगी कि प्रधान मंत्री जी अगर कम से कम इस बात पर हमें आश्वस्त करें , तो मैं अपने जो संशोधन हैं उनको प्रैस नहीं करूंगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी ,अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के आरक्षण का मामला उठा था और सदन में चर्चा हुई थी । पचास फीसदी आबादी को कौन अनदेखा कर सकता है । ... (व्यवधान) ...

[18 MARCH, 2002]

RAJYA SABHA

श्रीमती सरला माहेश्वरी : अनदेखा किया गया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, मैं सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाने वाला हूँ, जिसमें आरक्षण के मसले को किस तरह से संसद में पेश किया जाए, इसके बारे में अंतिम निर्णय लूंगा ।

(The Amendments No. 355 to 379 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN : Now, we take up Amendments no. 392 to 414 moved by Shri Nagendra Nath Ojha.

SHRI NAGENDRA NATH OJHA (Bihar) : Sir, I am withdrawing my Amendments.

(The Amendments No. 392 to 414 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments no. 434 to 438, moved by Shri Pranab Mukherjee

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I am not pressing my Amendments.

(The Amendments no. 434 to 438 were, by leave, withdrawn.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments No.439 to 462, moved by Shri Vijay Singh Yadav. He is not here.

(The Amendment Nos. 439 to 462, were negatived.)

MR. CHAIRMAN: Now, we take up Amendments Ho. 489 to 504, moved by Shri R. Kamraj. He is not here.

{The Amendments No, 489 to 504, were negatived.)

MR. CHAIRMAN: Now, I shall put the motion to vote.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 25, 2002."

The motion was adopted.

SHRI KULDIP NAYYAR (Nominated) : Sir, regarding some observations to be made with regard to the Press.

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh) : The Prime Minister has already said that he would not comment on the Press.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. THE INSTITUTES OF TECHNOLOGY (AMENDMENT) BILL, 2002

II. THE PASSPORTS (AMENDMENT) BILL, 2002

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary General of the Lok Sabha:

(I)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 16th March, 2002, agreed without any amendment to the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2002, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 8th March, 2002."

(II)

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 16th March, 2002, agreed without any amendment to the Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2002, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 8th March, 2002."

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.